

मान्यता कोड : RJBND27070

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)BUNDI , राजस्थान

क्रमांक: 1009

दिनांक 9/1/19

सचिव

प्रबंध समिति

VEDANT PUBLIC SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 23099 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, VEDANT PUBLIC SCHOOL पता VILL TULSi गाम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAKHMUND छज्जोक TALERa को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता है :-

| मोन्ति | |
|--|--|
| पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय को श्रेणी | Pr. with Up.Pr. with sec. Only (1-10) |
| क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है | Yes |
| स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण | |
| विज्ञान संकाय | Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream) |
| वाणिज्य संकाय | |
| कला संकाय | |

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, बून्दी

- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रस्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

८
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, बून्दी

सान्यता कोड : RJBND27070

✓
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्याधिकारी) माध्यमिक वित्तीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग,।
- 5 रक्षित पत्रावली।

✓
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्याधिकारी) माध्यमिक वित्तीय

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)BUNDI, राजस्थान

फलांक: 2185

दिनांक 17.11.2017

संचिह

प्रबंध समिति

VEDANT PUBLIC SCHOOL

जेपर - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 वं उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 21260 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र घटवहार/ नियमण के सन्दर्भ में, VEDANT PUBLIC SCHOOL पता VILL TULSI ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAKHMUND व्याकों TALERIA को जिदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन जिन्हाँसार मान्यता संजूर करता हूँ:-

| क्रमोन्नति | |
|--|-----------------------------------|
| पूर्ण मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी | Primary with Upper Primary (1-8) |
| क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है | Yes |

- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा दाइति सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय नियमण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित व्यापदण्ड (वौहिक एवं वित्तीय) के विनाश की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा अविष्य भैं कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्राप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम/अवकाश/वर्ग/माध्यम परिवर्तना इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही लिए जाएंगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी। मान्यता के अनुसार 3 सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में टी गई हो।

विद्यालय - VEDANT PUBLIC SCHOOL (P57919)

आवेदन क्रमांक : 21260

मान्यता कोड : RJBND23484

८
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

प्राप्तेतिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरण5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग.....।
- 5 रक्षित पत्रावली।

८
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, बून्दी

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/माध्य/अ-२/21313/2016-17 दिनांक 12.04.2016 के कम में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कमोन्नति/मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

नोट :-

- वर्ष 2016-17 में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक ही संचालित करेगे।
- मान्यता प्राप्त परिच्छ 2 की सम्पूर्ण पालना की जायेगी।
- राज्य सरकार/आयुक्त माध्यमिक/निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना की जायेगी।
- जब भी विभागीय प्रतिनिधि विद्यालय में उपस्थिति हो निरीक्षण करवाया जायेगा। विभागीय नियमों/आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
- राज्य/विभागीय नियमों आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर यह प्रमाण-पत्र निरस्त किया जायेगा।
- विद्यालय की टेन नम्बर आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करावें।
- खेलकूद एवं झापिडों की राशि भी जमा करवायें।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य वाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें एवं 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश दिया जावें।
- विना विभागीय रसीकृति के भवन/नाम परिवर्तन नहीं किया जावे।
- विद्यालय में मोवाईल टावर की रथापना नहीं की जावे।
- विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की रथापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में करना अनिवार्य है।
- विद्यालय के सभी छात्रों का दुर्घटना वीमा करवाना आवश्यक है।
- सत्र 2017-18 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्वतः घोषणा पत्र (टाईम फ्रेम) भरना आवश्यक है।

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | मान्यता रत्तर | ब्लॉक | माध्यम |
|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|----------|
| 01 | वेदान्त पञ्चिक रक्कूल तुलसी | 6 से 8 उच्च प्राथमिक रत्तर | तालेडा | अंग्रेजी |

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा बून्दी
दिनांक :- २२-०७-२०१६

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/बू/मान्यता/16-17/401-05
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राज्य बीकानेर।
- श्रीमान् उपनिदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा, कोटा।
- ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प०स० तालेडा।
- रांवंधित रांस्थाप्रधान वेदान्त पाल्लक श्वेता, उलसी।
- रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा बून्दी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, बून्दी

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान वीकानेर के आदेश क्रमांक कमोन्नति/मान्यता का प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है।

- वर्ष 2014–15 में प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक ही संचालित करेगे व उच्च प्रारंभिक वाले इस वर्ष कक्षा 6 का ही संचालन करें।
- मान्यता प्राप्त परिष्ठ 2 की सम्पूर्ण पालना की जायेगी।
- राज्य सरकार/आयुक्त माध्यमिक/निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों की पालना की जायेगी।
- जब भी विभागीय प्रतिनिधि विद्यालय में उपरिथित हो निरीक्षण करवाया जायेगा। विभागीय नियमों/आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
- राज्य/विभागीय नियमों आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर यह प्रमाण—पत्र निरस्त किया जायेगा।
- विद्यालय की टेन नम्बर आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
- खेलकुद एवं झापिडियों की राशि भी जमा करवायें।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य वाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें एवं 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश दिया जावें।
- विना विभागीय रखीकृति के भवन/नाम परिवर्तन नहीं किया जावे।
- विद्यालय में मोर्वाइल टावर की स्थापना नहीं की जावे।
- विद्यालय में अनिंशगन यंत्र की स्थापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में करना अनिवार्य है।
- विद्यालय के सभी छात्रों का दुर्घटना वीमा करवाना आवश्यक है।
- सत्र 2014–15 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्वतः घोषणा पत्र (टाईम फ्रेम) भरना आवश्यक है।

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | मान्यता स्तर | ब्लॉक | गांधीगढ़ |
|---------|---|----------------------------|--------|----------|
| 01 | वेदान्त पब्लिक स्कूल तुलसी | 1 से 5 प्रारंभिक स्तर | तालेडा | अंग्रेजी |
| 02 | गुरुगुल वाल विद्या मंदिर मोहनपुरा | 1 से 5 प्रारंभिक स्तर | कोपाटन | बून्दी |
| 03 | क्षत्रिय कॉन्वेन्ट स्कूल जवाहर नगर हाउसिंग वोर्ड बून्दी | 6 से 8 उच्च प्रारंभिक स्तर | बून्दी | बून्दी |

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/वृ/मान्यता/15–16/170७.१३
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

- श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राज्य वीकानेर।
- श्रीमान् उपनिदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा कोटा।
- ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प०स०तालेडा/कोपाटन/बून्दी।
- संविधित संस्थाप्रधान, विद्यालय ब्लॉक रक्षण तुलसी।
- रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा बून्दी
दिनांक 30.9.15

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा बून्दी